

बिहार सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

अधिसूचना

संख्या— विभाग (III) निः—27/2019

४२१

पटना, दिनांक—०८/०३/२०२१

भारतीय—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद द्वारा विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीन राजकीय क्षेत्र के अभियंत्रण महाविद्यालयों, राजकीय पोलिटेक्निक/महिला पोलिटेक्निक संस्थानों में फिजीकल ट्रेनिंग अनुदेशक के पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों के गठन हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ। (1) यह नियमावली “राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेक्निक /राजकीय महिला पोलिटेक्निक फिजीकल ट्रेनिंग अनुदेशक संवर्ग नियमावली, 2021” के नाम से जानी जाएगी।
(2) इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में बिहार सरकार के विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग के अधीनस्थ राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों, राजकीय पोलिटेक्निक एवं राजकीय महिला पोलिटेक्निक संस्थानों तक रहेगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. परिभाषाएँ — इस नियमावली में जबतक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—
 - (i) “संवर्ग” से अभिप्रेत है नियम-३ में यथावर्णित राजकीय अभियंत्रण एवं राजकीय पोलिटेक्निक /महिला पोलिटेक्निक फिजीकल ट्रेनिंग अनुदेशक संवर्ग,
 - (ii) “सरकार” से अभिप्रेत है बिहार सरकार,
 - (iii) “आयोग” से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग या सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य संगठन,
 - (iv) “निदेशालय” से अभिप्रेत है विज्ञान एवं प्रावैधिकी निदेशालय,
 - (v) “विभाग” से अभिप्रेत है विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना।
 - (vi) “समिति” से अभिप्रेत है विभाग द्वारा गठित विभागीय प्रोन्नति समिति,
 - (vii) “सीधी नियुक्ति” से अभिप्रेत है बिहार कर्मचारी चयन आयोग या सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य संगठन की अनुशंसा पर की जाने वाली नियुक्ति,
 - (viii) “संवर्ग के सदस्य” से अभिप्रेत है इस नियमावली के उपबंधों के अधीन बिहार राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पोलिटेक्निक/राजकीय महिला पोलिटेक्निक संस्थानों के लिए फिजीकल ट्रेनिंग अनुदेशक संवर्ग में नियुक्त एवं शामिल व्यक्ति,

१५००

✓

(ix) "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है निदेशक, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना।

(x) "वर्ष के अन्दर रिक्ति" से अभिप्रेत है सेवा में नये पदों के सृजन, सेवा निवृत्ति, मृत्यु, सेवा से हटाये जाने और पदच्युत किये जाने के फलस्वरूप वर्ष की 1 ली अप्रैल को उपलब्ध रिक्ति,

(xi) "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात् पहली अप्रैल से अगले वर्ष के 31 मार्च तक की अवधि,

3. राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं राजकीय पोलिटेक्निक/राजकीय महिला पोलिटेक्निक संस्थान में फिजीकल ट्रेनिंग अनुदेशक सेवा संवर्ग हेतु संवर्गीय संरचना ।-

3.1 संवर्ग के पद एवं शैक्षणिक तथा अन्य अनिवार्य याग्यता निम्न प्रकार होगी-

क्र०स०	पदनाम	प्रास्थिति	योग्यता
1	2	3	4
1.	फिजीकल ट्रेनिंग अनुदेशक	मूल कोटि (अराजपत्रित)	फिजीकल ट्रेनिंग(शारीरिक शिक्षा) में डिप्लोमा
2.	वरीय फिजीकल ट्रेनिंग अनुदेशक (स्तर-I)	प्रथम प्रोन्नति स्तर (अराजपत्रित)	प्रोन्नति हेतु योग्यता-फिजीकल ट्रेनिंग अनुदेशक के पद पर 8 वर्षों का कार्य अनुभव।
3.	प्रधान फिजीकल ट्रेनिंग अनुदेशक (स्तर-II)	द्वितीय प्रोन्नति स्तर (अराजपत्रित)	प्रोन्नति हेतु योग्यता-वरीय फिजीकल ट्रेनिंग अनुदेशक (स्तर-I) के पद पर 8 वर्षों का कार्य अनुभव।

3.2 फिजीकल ट्रेनिंग अनुदेशक की प्रोन्नति AICTE, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित योग्यतानुसार दी जा सकेगी।

3.3 संवर्ग के विभिन्न कोटि के पदों का वेतनमान/वेतन स्तर वही होगा जैसा समय-समय पर वित्त विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

4. रिक्तियों की अवधारणा एवं आयोग को इसकी सूचना ।- प्रत्येक वर्ष की 1ली अप्रैल से सरकार उस वर्ष के लिए अभियंत्रण महाविद्यालयों तथा राजकीय पोलिटेक्निक/ राजकीय महिला पोलिटेक्निक संस्थानों हेतु फिजीकल ट्रेनिंग अनुदेशक के पदों पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की गणना करेगी एवं उसके अनुसार सीधी नियुक्ति से संबंधित रिक्तियों की अधियाचना आयोग को प्रेषित करेगी।

5. सीधी भर्ती ।- (1) संवर्ग के मूल पद अर्थात् फिजीकल ट्रेनिंग अनुदेशक के पद पर सीधी भर्ती आयोग की अनुशंसा के आधार पर की जायेगी।

(2) सीधी भर्ती वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा 100 अंकों की आधार पर होगी।

100

(3) विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभागान्तर्गत संविदा के आधार पर पूर्व में अभ्यर्थियों द्वारा समान पद पर प्रति वर्ष की गई संतोषजनक सेवा के लिए 05 अंक प्रति वर्ष की दर से अधिकतम 25 अंकों की अधिमानता दी जायेगी। 06 माह से ज्यादा एवं 01 वर्ष से कम की अवधि को 01 पूर्ण वर्ष माना जायेगा।

6. परीक्ष्यमान अवधि/विभागीय परीक्षा/प्रशिक्षण — (1) प्रथम नियुक्ति के उपरान्त दो वर्षों तक परीक्ष्यमान अवधि रहेगी जिसे लिखित रूप से अभिलेखित किये जा सकने वाले कारणों से अगले 01 वर्ष तक के लिए विस्तारित किया जा सकेगा। परीक्ष्यमान अवधि किसी भी परिस्थिति में तीन वर्षों से अनधिक होगी। विस्तारित अवधि में भी सेवा असंतोषजनक पाये जाने पर सेवा समाप्त की जा सकेगी। परीक्ष्यमान अवधि सफलतापूर्वक पूरा करने एवं उक्त अवधि में सेवा संतोषजनक रहने पर सेवा की संपुष्टि की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त सेवा संपुष्टि हेतु राज्य सरकार द्वारा समय-समय लागू प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा।

7. आरक्षण — इस सेवा में सीधी भर्ती तथा प्रोन्नति में सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित आरक्षण-रोस्टर के प्रावधान लागू रहेंगे।

8. उम्र सीमा — संवर्ग में सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होगी तथा अधिकतम उम्र सीमा वही होगी जैसा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाय।

परन्तुकृ-1. उम्र सीमा में किसी भी प्रकार के विवाद का निष्पादन सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा समय-समय पर जारी निदेशों के अनुसार किया जायेगा।

2. विभाग के अधीन समान पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत रहे अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा संविदा पर किये गये सेवा अवधि के समतुल्य अवधि की छूट दी जायेगी।

9. वरीयता — निदेशालय प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में इस संवर्ग के प्रत्येक पद के लिए विधिवत नियुक्त एवं कार्यरत कर्मियों की वरीयता सूची प्रकाशित करेगा। सीधी भर्ती से नियुक्त कर्मियों की आपसी वरीयता आयोग की अनुशंसा के मेधा क्रमानुसार निर्धारित की जाएगी। प्रोन्नति के पदों पर वरीयता का निर्धारण प्रोन्नति संबंधी आदेश से निर्धारित होगा। किसी एक आदेश से प्रोन्नत कर्मियों की आपसी वरीयता पिछले पदसोपान के वरीयता क्रम में निर्धारित की जाएगी।

10. प्रोन्नति — इस संवर्ग के सदस्यों को नियम-3 में उपबंधित प्रावधानों के अधीन बिहार सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आलोक में विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर प्रोन्नति देय होगी। विभागीय प्रोन्नति समिति का गठन विभाग द्वारा अलग आदेश से किया जाएगा।

11. विविध — इस नियमावली से अनाच्छादित विषयों/बिन्दुओं के संबंध में राज्य सरकार के समकक्ष स्तर के कर्मियों के लिए तत्समय प्रवृत्त नियम/अनुदेश लागू होंगे।

12. निर्वचन — जहाँ इस नियमावली के प्रावधानों के संबंध में कोई संदेह उत्पन्न हो, वहाँ विभाग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम माना जाएगा और तदनुसार निर्धारित होगा।

13. कठिनाइयों का निराकरण — नियमावली से संबंधित किसी भी कठिनाई का अंतिम निराकरण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

M

✓

14. निरसन—(1) इस नियमावली के आरंभ के पूर्व निर्गत सभी संकल्प/परिपत्र एतद द्वारा निरसित किये जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी पूर्व निर्गत संकल्प/नियमावली/आदेश आदि के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई कार्य या की गई कार्रवाई, इस नियमावली द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए किया गया समझा जायेगा, मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी, जिस तिथि को ऐसा कोई कार्य या ऐसी कोई कार्रवाई की गई थी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(मिर्जा आरिफ रजाफी)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक:— विभाग (III) नि०-२७/२०१९

८२।

/पटना, दिनांक ०८/०३/२०२१

प्रतिलिपि:—महालेखाकार बिहार, पटना/अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना-७/प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग को सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के आगामी अगले अंक में प्रकाशनार्थ/महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/वित्त विभाग/मन्त्रिमंडल सचिवालय विभाग/सचिव, बिहार तकनीकी सेवा आयोग/सभी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/सभी प्राचार्य, राजकीय पोलिटेक्निक संस्थान/सभी प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेक्निक संस्थान/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना/विभाग के सभी पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय आई०टी० मैनेजर (अपलोड करने हेतु), विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मिर्जा आरिफ रजाफी)
सरकार के उप सचिव

८२।

Government of Bihar
Department of Science and Technology
Notification

No. 821

/Patna, Date:- 08/03/2021

In Exercise of powers conferred by proviso to article-309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is hereby pleased to make the following Rules related to the recruitment, promotion and other service conditions of the Physical Training, Instructor in Government Engineering Colleges, Government Polytechnics/ Government Women Polytechnics under the Department of Science and Technology:-

1. Short title, extent and commencement- (1) These rules may be called the "**Physical Training, Instructor in Government Engineering Colleges, Government Polytechnics/ Government Women Polytechnics Cadre Rules, 2021**"

(2) It shall extend to the whole of the state of Bihar, which shall be effective for all Government Engineering Colleges, Government Polytechnics/ Government Women Polytechnics under the Department of Science and Technology.

(3) It shall come into force at once.

2. Definitions- In these Rules, unless otherwise required in the context-

(i) '**Cadre**' means, the cadre of Physical Training, Instructor in Government Engineering Colleges, Government Polytechnics/ Government Women Polytechnics as explained in rule-3.

(ii) '**Government**' means the Government of Bihar.

(iii) '**Commission**' means Bihar Staff Selection Commission or other organization authorized by the State Government.

(iv) '**Directorate**' means Directorate under Department of Science and Technology.

(v) '**Department**' means the 'Department of Science and Technology, Bihar, Patna.

[Signature]

[Signature]

(vi) '**Committee**' means departmental promotion committee constituted by the department.

(vii) '**Direct appointment**' means appointment done on the basis of recommendations made by the Bihar Staff Selection Commission or other organization authorized by the State Government.

(viii) '**Member of Cadre**' means any person appointed as Physical training, Instructor in Engineering Colleges, Government Polytechnics/ Government Women Polytechnics under the provisions of this rules.

(ix) '**Appointing Authority**' means, Director, Department of Science and Technology, Bihar, Patna.

(x) '**Vacancy within Year**' means vacancy available on 1st April of the year due to creation of new post, superannuation, death, removal from service and termination from service.

(xi) '**Year**' means financial year i.e. 1st April to 31st March.

3. Cadre Structure for Instructor, Physical Training in Government Engineering Colleges, Government Polytechnics/ Government Women Polytechnics.

3.1 The educational qualifications and other essential qualification for the cadre post will be as follows:-

S.N	Designation	Level	Qualification
1	2	3	4
1.	Physical Training Instructor	Basic category (non gazetted)	Diploma in Physical Training
2.	Senior Physical Training Instructor (Level-I)	First promotional Grade (non gazetted)	Eligibility for promotion-Eight years of work experience as Physical Training Instructor.
3.	Principal Physical Training Instructor (Level-II)	Second promotional Grade (non gazetted)	Eligibility for promotion-Eight years of work experience as Senior Physical Training Instructor (Level-I)

Arora

✓

3.2 Promotion to the post of Physical Training Instructor shall be given as per the prescribed qualification by AICTE, New Delhi.

3.3 The pay scale/pay level for the different level of the cadre post will be as determined by the Finance Department, Government of Bihar from time to time.

4. Determination of vacancies and its information to the Commission- The Government will calculate the vacancies as on 1st April every year for the direct recruitment for the post of Physical Training Instructor in Government Engineering Colleges, Government Polytechnics/ Government Women Polytechnics and send requisition of vacancies to the Commission.

5. Direct Recruitment: (1) Direct recruitment to the basic post of the cadre i.e. Physical Training Instructor shall be made as per the recommendation of the commission.

(2) Direct Recruitment shall be made on the basis of objective written examination of 100 marks.

(3) The candidate will be given weightage of 05 marks for each year maximum of 25 marks for the satisfactory completion of contractual service on the same post under the Science and Technology Department. The period of six months and more and less than one year shall be treated as one year.

6. Probation Period/Departmental Examination/Training- (1) After first recruitment there shall be a probation of two years, which may be extended further for one year with reasons for the same to be recorded in writing. The probation period will not be more than 3 years in any circumstances. If the service is not found satisfactory even during extended period, then person concerned may be terminated from service. Service may be confirmed, if probation period has been completed successfully and in that period service was found to be satisfactory. In addition to this guidelines issued by the Government from time to time for the confirmation of service will be applicable.

7. **Reservation:** For direct appointment and promotion, the provisions of Reservation -Roster as notified by the State Government, from time to time will be applicable.
8. **Age Limit-** Minimum age limit for direct appointment will be 18 years and maximum age limit will be such as determined by the state government from time to time.

Proviso 1. In case of any dispute in age limit, it shall be resolve as per the guidelines issued by General Administration Department, Bihar, Patna from time to time.

2. Candidates engaged on the contract basis under the department shall be given relaxation in age equivalent to work rendered by them.

9. **Seniority:-** The Directorate will publish seniority list of duly appointed and working employees. Seniority of directly appointed employees will be determined as per the merit list recommended by the Commission. Seniority of the promotional post will be determined as per promotion related order. Seniority list of employees promoted by one order will be determined as per the seniority list of previous post.

10. **Promotion:-** The Members of this cadre will be given promotion as per the provision contained in rule-3 in light of criteria fixed by the Bihar Government and recommendations of Departmental Promotion Committee. The Departmental Promotion Committee shall be constituted by the Department by a separate order.

11. **Miscellaneous:-** Matters which are not specifically covered by these rules shall be governed by the rules, instruction or orders applicable to the employees of equivalent level of the State Government.

12. **Interpretation:-** In case of any doubt relating to interpretation of any provision of these Rules, decision of the department will be final and matter will be decided accordingly.

13. **Removal of Difficulties:-** Any difficulty related to these Rules shall be finally removed by the order of the State Government.

[Handwritten signature/initials]

14. Repeal:- (1) All resolution/circulars issued prior to commencement of these Rules are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under any previous resolution / circulars / orders shall be deemed to be done or taken under these rules as if these Rules were in force on the day on which such action was taken or done.

By the order of the Governor of Bihar



(Mirza Arif Raza)
Deputy Secretary of Government

Memo no-वि० प्रा० (III) नि०-27/2019/ 82 / /Patna,Dated- 08/03/2021

Copy- forwarded to the Superintendent, Govt. Press Gulzarbagh, Patna/Office incharge, e-gazette, Finance Dept., Bihar, Patna for information and publication in next Bihar Gazette. Secretary to H.E Governor/ Principal Secretary to Hon'ble Chief Minister, Bihar/ OSD to Chief Secretary/ Principal Secretary, General Administration Department/ Finance/ Cabinet secretariat/ Secretary, Bihar Technical Staff Selection Commission/All Principal Government Engineering Colleges/ All Principal State Polytechnic Colleges/ All Principal State Women Polytechnic Colleges/ Secretary, Secretariat, BTEC, Patna, All Officers of the Department/P.S to Principal Secretary/ I.T Manager of the Department (For uploading)/Science and technology Department, Bihar, Patna for necessary action and information.



Deputy Secretary of Government

